117

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 निगरानी - R 2307 -I/13

1. चम्पालाल पुत्र मगन
2. मेवालाल पुत्र मगन
3. बल्लू उर्फ बलवीर पुत्र छोटेलाल

निवासी ग्राम–दबोह हाल निवासी कुअंरपुरा न0–1 तहसील–लहार जिला– भिण्ड –

आवेदकगण

दिनांक 17-6-13 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत/

17-6-13

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन (पटवारी मौजा कुअंरपुरा न0–1) तहसील–लहार,जिला– भिण्ड
2. शिवराम पुत्र छोटेलाल फौत वारिस
   अ– कान्ती देवी पत्नी शिवराम
   ब– चंचल पुत्री शिवराम नाबालिग द्वारा संरक्षक मॉ कान्ती देवी पत्नी शिवराम
   निवासी ग्राम–दबोह तहसील–लहार,जिला–भिण्ड– तरतिवी पक्ष

अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 70/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 01–03–2013 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारो पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है:–

यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वेकमांक 315,316,318,1137,1138,1152, 1002 के भूमिस्वामी मसल्ती पुत्र गजई नाई थे जिनकी कोई सन्तान नही थी.

Received 17/6/13

भूमिस्वामी द्वारा उपरोक्त भूमि पर धार्मिक प्रयोजनों हेतु स्वयं के व्यय से राधाकृष्ण की मुर्ति स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराया गया था. तथा मंदिर की व्यवस्था हेतु दिनांक 29–07–1968 को रजिस्टर्ड विलेख तैयार करवाकर उक्त मंदिर की व्यवस्था हेतु अपनी उपरोक्त भूमि को मंदिर से लगा दिया था. उक्त व्यवस्था पत्र में अपीलार्थी कमांक 1एवं 2 के पिता तथा 3 के पिता को एवं मगन के भई बन्ते को न्यासी बनाया गया. उक्त व्यवस्था पत्र के अनुसार न्यासियों के स्थान पर उत्तर जिविता के आधार पर न्यासी नियुक्त करने तथा रिक्त स्थान भरने का अधिकार न्यासियों को दिया गया था. उक्त न्यासियों की मुत्यु हो जाने के कारण आवेदकगण ने उत्तरजिवी वारिरा होने के कारण अपना नामान्तरण किये जाने हेतु

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2307–एक/13 जिला –भिण्ड

	तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.	16	आवेदक ने यह निगरानी का आवेदन अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरणकमांक 70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 1.3.13 के विरूद्व प्रस्तुत किया है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के बाबा मसलती पुत्र गजयी नाई थे उन्होंने अपनी भूमि स्वामित्व की भूमि में राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति की सेवा पूजा के लिये अपनी भूमि का एक ट्रस्ट बनाकर उसे पंजीकृत कराया ट्रस्ट के संचालन हेतु छोटेलाल, मगन एवं मगन के भाई बंते को न्यासी बनाकर उन्हें ट्रस्ट का संचालन करने के लिये आधिकृत किया भूमि स्वामी मसलती ने ट्रस्ट डीड में यह व्यवस्था भीकी थी कि उनके द्वारा नियुक्त न्यासियों के अधिकार उत्तर जीविता के अनुसार न्यासियों के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होंगे तथा यह भी व्यवसी की गयी कि यदि न्यासीगण किसी न्यासी का पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिये अधिकृत होंगे। 3– मसलती मौजा कुंवरपुरा नम्बर–2 तहसील लहार के भूमि सर्वे कमांक 315, 316, 317, 318, 1137, 1138, 1052 एवं 1002 के भूमि स्वामी थे बन्दोबस्त के बाद इन सर्वे कमांको से भूमि सर्वे कमांक 84, 551, 557 एवं 908 का निर्माण हुआ यह भूमि कभी भी मसलती के अलावा शासन अथवा अन्य किसी केस्वत्व में नहीं रहीं।	

4— मसलती द्वारा नियुक्त न्यासियों में से एक न्यासी बंते ने अपने अधिकार पंजीकृत वसीयत द्वारा आवेदक कमांक—3 बल्लू को उत्तराधिकार में प्राप्त होने का वसीयतनामा निष्पादित किया था। मसलती द्वारा नियुक्त न्यासीगण की मृत्यु के पश्चात आवेदकगण ने न्यासी के रूप में अपना नामांतरण कराने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जिसे तहसील न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील कमांक 155/08—09 प्रस्तुत की गयी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.10 को अपील निरस्त कर दिये जाने पर आवेदकगण ने अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त ने अपने विवादित आदेश दिनांक 1.3.13 से निरस्त किया है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी आवेदन पेश किया गया है।

5— आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क हे कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदको द्वारा दिये गये आवेदन पत्र को देखे बिना विवादित आदेश पारितकियेहै इस प्रकरण में आवेदकगणर ने भूमि स्वामी के रूप में अपना नामांतरण कराने के लिये आवेदन नहीं दिया था भूमि का स्वामित्व मसलती द्वारा बनाये गये न्यास के अनुसार न्यास एवं मसलती द्वारा स्थापित मंदिर के पास ही रहेगा आवेदकगण ने मात्र न्यासी के रूप में अपना नामांतरण किये जाने के लिये आवेदन दिया था। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने यह मानकर आदेश पारित किये है कि आवेदकगण अपना नामांतरण निजी अधिकार के अंतर्गत कराना चाहते हैं।

6— नायब तहसीलदार के न्यायालय का प्रकरणकमांक 14 / 2007—08 / अ—6 को मंगाने हेतु इस न्यायालय से अनेक बाद पत्र जारी किये गये परंतुउक्त प्रगकरण उपलब्ध न होने के कारण आवेदकगण के अधिवक्ता ने अनुविभागीय अधिकारी केअभिलेख में उपलब्ध उन दस्तावेजों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में प्रस्तुत किये गये थे । आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण से संबंधित भूमि मंदिर श्री राधाकृष्ण जी के भूमि स्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेखें में लिखी है इस प्रकरण में भूमि स्वामित्व का विवाद नहीं है उनका कहना है कि विवाद मसलती द्वारा स्थापित मंदिर की व्यवसी का है मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही इसलिये मसलती ने न्यास बनाया था आवेदकगणर पूर्व न्यासियों के उत्तराधिकारी है इसलिये उन्हें अपना नाम ट्रस्ट डीड के अनुसार लिखाने का अधिकार है उन्होंने सर्वप्रथम तहसीलदार के आदेश दिनांक 27.5. 09 की ओर ध्यान आकर्षित किया तहसीलदार ने अपने संक्षिप्त आदेश में केवल यह लिखा है कि वसीयत में वणित भूमि श्री राधा कृष्ण के नाम पर दर्ज है। वसीयतमर्ता मोहत्तमकार है मंदिर भूमि का वसीयत किया जाना वैधानिक नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पद—5 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी लहार ने अपील निरस्त किरनेके लिये लिखा है कि तहसीलदार ने वसीयत में वर्णित भूमि मंदिर के नाम दर्ज होने से वसीयत को वैधानिक न मानने में कोई गलती नहीं

की है एवं पुजारी की नियुक्ति ग्राम सभा द्वारा की जाती है। इसी प्रकार अपर आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि विवादित भूमि मंदिर श्री राधा कृष्ण से लगी हुयी है पुजारी मंदिर का प्रबंधक है उसे भूमि अंतरण करने तथा भूमि को पटटे पर देने का अधिकार नहीं है । माफी से संलग्न भूमि पर पुजारी खुद खेती कर सकता है । पुजारी मंदिर के प्रबंधक की हैसियत से काम करता है मंदिर के पुजारी की नियुक्ति करने का अधिकार ग्राम सभा को है मंदिर की भूमि वसीयत से अंतरित नहीं की जा सकती ।

7-- अधिवक्ता का तर्क है तीनो अधीनस्थ न्यायालयों ने जो कारण दर्शाते हुये आदेश दिये है वेकारण पूरी तरह से असंगत है भूमि मांफी की नहीं है. पुजारी नियुक्ति का विवाद नहीं है ना ही मंदिर की भूमि का कोई अंतरण किया गया है मंदिर के न्यासियों की मृत्यु हो जाने के कारण ट्रस्ट डीड के अनुसार न्यासियों के उत्तराधिकारियों के नामों की प्रविष्टि की जाकर राजस्व अभिलेखों को अध्यतन किया जाना है जिससे मंदिर अथवा उसकी भूमि स्वामित्व की भूमि प्रभावित नहीं होती है उनका तर्क हे कि तीनोंअधीनसी न्यायालय के आदेश निरस्त कियेजायें तथा आवेदकगण का नाम मंदिर श्री राधा कृष्ण जी ग्राम कुंवरपुरा नम्बर--2 के न्यासीगण (प्रबंधक) के रूप मेंमंदिर के नाम के साथ अंकित किये जाने के निर्देश प्रदान किये जायें।

8-- शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता नेआवेदक के तर्को का उत्तर देते हुयेकहा कि आवेदकगण मंदिर की भूमि पर अपना नामांतरण कराना चाहते है जिसे अस्वीकार करने मे अधीनस्थ

न्यायालयों न कोई त्रुटि नहीं की है।

9— आवेदकगण तथा शासन के अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर श्री राधाकृष्ण के भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है। जिसकाकोई विवाद नहीं हे राजस्व अभिलेखें में मंदिर के जिन व्यक्तियों का नाम मंदिर के साथ अंकित है उनकी मृत्यु हो गयी है । आवेदकगण मगन एवं छोटेलाल के उत्तराधिकारी हे । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध मसलती द्वारा निष्पादित दस्तावेज का अवलोकन किया जिसमें मगन छोटेलाल एवंबंतेको न्यासी बनाया गया था । न्यास पत्र में यह भी लिखा है कि यदि न्यासी का कोई स्थान रिक्त होता हे तब उत्तरजीवी न्यासीगण रिक्त स्थान के लिये चयन करेंगे इससे स्पष्ट है कि मंदिर मसलती की व्यक्तिगत सम्पति था एवं मसलती नेमंदिर तथा भूमि की भविष्य में व्यवस्था के लिये ट्रस्ट डीड लिखा था। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने आदेशों में आवेदकों की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिये जो आधार लिखे है वह आधार प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख से मेल नहीं खाते आवेदकगण की प्रार्थना मंदिर की भूमि पर अपना नामांतरण कराने की नहीं है ना ही मंदिर की भूमि की कोई वसीयत की गयी है। अतः मेरे मत में अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकगण की प्रार्थना को न मानने में त्रुटि की है।

10— आवेदकों की ओर से प्रस्तुत तर्को एवंप्रकरण के अभिलेख

के आधार पर यह निगरानी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि मंदिर श्री राधाकृष्ण स्थित ग्राम कुंवरपुरा नम्बर—2 तहसील लहार की भूमि सर्वे कमांक 84, 551, 557 एवं 908 पर मंदिर श्री राधाकृष्ण जी का नाम भूमि स्वामी के रूप में यथावत रखते हुये आवेदकगण का नाम मंदिर के न्यासियों के रूप में मंदिर के साथ अंकित करें, एवं तदनुसार राजस्व अभिलेखों को अध्यतन किया जाये।

सदस्य